न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 11/2017

अपीलांट

मदनलाल पुत्र दानाजी जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी पोसालिया तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. हमीरसिंह पुत्र सादुलसिंह जाति राव आयु वयस्क
2. विजयसिंह पुत्र सादुलसिंह जाति राव आयु वयस्क
3. भोपालसिंह पुत्र सादुलसिंह जाति राव आयु वयस्क
4. बाबूसिंह पुत्र सादुलसिंह जाति राव आयु वयस्क
5. मंगीलाल पुत्र छोगाजी जाति कुम्हार आयु वयस्क
6. भीमाराम पुत्र कुपाजी जाति कुम्हार आयु वयस्क
7. नताराम पुत्र कुपाजी जाति कुम्हार वयस्क
8. मीठालाल पुत्र छोगाजी जाति कुम्हार वयस्क
9. लसाराम पुत्र छोगाजी जाति कुम्हार वयस्क
10. पेपी पुत्री छोगाजी जाति कुम्हार वयस्क
11. हीरी पुत्री छोगाजी जाति कुम्हार वयस्क
12. पवनी पुत्री छोगाजी जाति कुम्हार वयस्क
13. वनी पुत्री छोगाजी जाति कुम्हार वयस्क
14. मंछी बेवा छोगाजी जाति कुम्हार वयस्क
15. दानिया पुत्र लालाजी जाति कुम्हार आयु वयस्क
16. मांगीलाल पुत्र छोगाजी जाति कुम्हार आयु वयस्क
17. रतनदीप पुत्र हरिसिंह जाति राव आयु वयस्क
18. फतेहसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राव आयु वयस्क
19. छगन कुंवर पत्नी हरिसिंह जाति राव जाति कुम्हार आयु वयस्क सभी निवीसयान पोसालिया तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री दलपतराज परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 एवं 17 से 19

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 20 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 09.09.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी शिवगंज द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 26/2015 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 668 रकबा 9.19 बीघा किस्म बारानी प्रथम में आवागमन हेतु अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 05 ता 16 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 664, 666 व 669 में से रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को जो नोटिस जारी किये गये, वह विधिवत रूप से तामिल नहीं करवाये गये। जिससे अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान नहीं हुआ। राजस्व अधिकारियो ने कोई मौका अपीलांट की उपस्थिति में नही देखा, केवल मात्र अपनी मनमर्जी से नक्शा ट्रेस में नये सिरे रास्ता भौतिक स्थिति के विपरित प्रस्तावित कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करवाये सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 668 रकबा 9.19 बीघा किस्म बारानी प्रथम में आवागमन हेतु अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 05 ता 16 की खातेदारी आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

खसरा नंबर 664, 666 व 669 में से रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 05 ता 16 को नोटिस जारी किये गये। जिस पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 05 ता 07 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अंडरटेकिग प्रस्तुत की, एवं शेष पक्षकारान तामिली के बावजूद उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में जमाबंदी मे रास्ता दर्ज हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 668 रकबा 9.19 बीघा किस्म बारानी प्रथम में आवागमन हेतु अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 05 ता 16 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 664, 666 व 669 में से रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वादग्रस्त आराजी के संबध में कोई मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब किये जाने का आदेश नहीं है। एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई वादग्रस्त आराजी के संबध में कोई मौका फर्द संलग्न है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का न तो संबधित तहसीलदार ने कोई मौका देखा, एवं नही मौका रिपोर्ट बनाई। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका की जांच किये केवल मात्र तहसीलदार के जवाब के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं अन्य पक्षकारो को जो नोटिस जारी किये गये, वह भी विधिवत रूप से तामिल नहीं करवाये गये। जिससे उक्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं हो सका। अधीनस्थ न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

बिना मौका रिपोर्ट तलब किये, बिना अपीलांट एवं अन्य पक्षकारो को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए विधि विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया है। जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी शिवगंज द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 26/2015 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो की पूर्णतया पालना करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.09.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली केम्प-सिरोही